न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 194/2013 निर्णय दिनांक :– 22-10-18

उनवान

1. जगदीश नारायण
2. गोविन्द नारायण

   पुत्रान घासी
3. राधामोहन
4. राधेश्याम

   पुत्रान सूरजमल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

——वादीगण——

बनाम

1. बदाम देवी पत्नि स्व0 पांचू
2. पवन
3. चरण

समस्त जाति जाट निवासी ग्रम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर।

4. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

6. प्रेम देवी पत्नि छीतर मल

7. हनुमान पुत्र जयराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजडोली तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण——

दावा बाबत–घोषणा खातेदारी तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण ने वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि वादीगण व आराजी खसरा नम्बर 1, 2 किता 2 रकबा 6.33 है0 व खसरा नम्बर 3, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 12/1, 13 से 20, 25 से 37 किता 27 रकबा 14.33 है0 व खसरा नम्बर 11, 13/2836, 20/2829, 21/1, 22, 23 किता 6 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 1 रकबा 100 बीघा बंजड बरानी लगानी थी। जिसके खातेदार वादीगण जिसका हिस्सा राजस्व रिकार्ड में 3/4 हक व हिस्सा था तथा 1/4 हिस्सा अन्य का बदस्तुर था। तथा इसी नम्बर में दो पुख्ता चाह बनये हुये थे। वादीगण का उक्त चाह में 3/4 हक व हिस्सा था। जिसमें वादीगण ने हक व हिस्सों में से प्रतिवादीगण संख्या 1 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता पांचू पुत्र घासी जाट को वादीगण ने अपना हिस्सा 3/4 में से 1/5 हक हिस्सा का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1996 को किया गया था। जिसके मुताबिक आज भी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मौके पर सही काबिज काश्त करते चले आ रहे है उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण संख्या 90 सन 1998 को मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता पांचू पुत्र घासी जाट के नाम नामान्तकरण खुला था। जो विक्रय पत्र अनुसार सही खोला गया था। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता पांचू पुत्र घासी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1996 को अपने हक व हिस्सों में से 1/5 हक व हिस्सा का बचोन किया गया था। जिसका नामान्तकरण वादग्रस्त सन 1998 में सही खुला था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादग्रस्त आराजी के खाते अलग अलग करते समय वादीगण व प्रतिवादीगण के हक व हिस्सो में गडबड कर दिये गये। जो कानूनन अवैद्य है जो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राजस्व रिकार्ड में हिस्सों में गलती कर दिये। जबकि मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पति प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता पांचू पुत्र घासी को वादीगण ने 15 बीघा भूमि का बेचान किये थे। परन्तु अलग अलग बनाते समय हिस्सो में गडबडी कर दिये जिससे मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के हिस्से में करीबन 0.25 ऐयर भूमि अधिक राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो रखी है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त गै0मु0चाह खसरा नम्बर 20 में खुदवाया था तथा मौके पर आज भी गै0मु0 चाह आराजी खसरा नम्बर 20 में ही खुदा हुआ है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते समय उक्त गै0 मु0 चाह को खसरा नम्बर 23 तो आबादी भूमि है। जबकि उक्त चाह खसरा नम्बर 19 में

उपखण्ड अधिकारी
झाकसू (जयपुर)

खुदा हुआ हैं जिससे वादीगण मिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक व हिस्सा में से 0.25 है0 की खातेदारी घोषणा करवाये तथा रिकार्ड दुरूस्त करावे तथा गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 23 में दर्शाया गया है। उसको खसरा नम्बर 20 में अंकित करते हुये दुरूस्त करावे। तथा मिन प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसका वादीगण कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता पांचू पुत्र घासी ने वादीगण से 15 बीघा भूमि ही क्रय की थी तथा चाह में 3/4 में से 1/5 हिस्सा क्रय किया था। क्रय करने से लेकर आज तक मौके पर इसी तरह काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमियों की जमाबंदिया दिनांक 18.07.2013 को निकलवाकर जानकर व्यक्तियों दिखाया तो इससे हिस्से गलत दर्ज कर रखा है। गलत हिस्सा दर्ज होने से मिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक व हिस्सा क्रय की गई जमीन से करीबन 0.25 है0 भूमि अधिक राजस्व रिकार्ड में लगयी हुयी है तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से अपने हिस्सा दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो इन्होंने कहा कि हम तो नही करवायेंगें। तब इन्होने कई तरह से धमकिया सरेआम देने लग गये। वादीगण नम्रतापूर्वक सुनकर रह गये। वादीगण के लिये आवश्यकत हो गया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक व हिस्सो में से वादीगण के 0.25 है0 की खातेदारी की घोषणा करावे। तथा इसीनुसार हिस्सा दुरस्त किया जावे। तथा आराजी खसरा नम्बर 23 में अंकित चाह का खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 19 में अंकित कर दुरूस्त करावे। तथा प्रतिवादीगण का जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी एवं मजाहमत वेजा न स्वयं करे न अन्य से करावे। वादीगण के लिये वाद कारण दिनांक 18.07.2013 को मिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा हिस्सा दुरूस्ती नही करवाने के लिये मना करने पर तथा ऐलानिया धमकिया देने पर उत्पन्न हुआ। जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 4 को भूमिधारी होने से तथा प्रतिवादी संख्या 5 उप पंजीयक शाखा होने से पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद में इनके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही है। विवादित आरजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को हासिल हैं। वादीगण का वाद अन्दर मियाद कानून मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1, 2 किता 2 रकबा 6.33 है0 व खसरा नम्बर 3, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 12/1, 13 से 20, 25 से 37 किता 27 रकबा 14.33 है0 व खसरा नम्बर 11, 13/2836, 20/2829, 21/1, 22, 23 किता 6 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक व हिस्सा में वादीगण को 0.25 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तथा इसीनुसार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे। आराजी खसरा नम्बर 23 में अंकित गै0 मु0 चाह को आराजी खसरा नम्बर 19 के नक्शा ट्रेस में गै0मु0 चाह दुरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी तरह की दखलंदाजी व मजाहमत पैदा नही करे न स्वयं करे न अन्य से करावे। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी तो प्रतिवादीगण की तरफर निर्मल कुमार जैन एड0 ने वकालतनामा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तरफ से इकबालिया जवाब दिनांक 22.10.19 को इस प्रकार पेश किया गया कि :– वादपत्र का मद नम्बर 1 स्वीकार है। वादपत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित खसरा नम्बर एवं रकबा तथा वाके ग्रम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, वो पूर्णतया स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता पांचू पुत्र घासी जाट को वादीगण ने अपना हिस्सा 3/4 में से 1/5 हक व हिस्सा यानि 15 बीघा भूमि का तथा चाह मे अपना हिस्सा 3/4 में 1/5 हक हिस्सा का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1996 को किया गया था। जिसके मुताबिक आज भी मौके पर सही काबिज काश्त करते चले आ रहे। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण संख्या 90 सन् 1998 को प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 293 के पिता नाथू पुत्र घासी जाट के नाम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नामान्तकरण खुला था। जो विक्रय पत्र के अनुसार सही खोला गया था। वाद पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता पांचू पुत्र घासी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1996 को अपने हक व हिस्सा में से 1/5 हक व हिस्सा का बेचान किया गया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 90 सन् 1998 मे सही खुला था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादग्रस्त आराजी के खाते अलग अलग करते समय वादीगण व प्रतिवादीगण के हक व हिस्सो मे गडबड कर दिये गयें। जो कानूनन अवैध है। जो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राजस्व रिकार्ड में हिस्सों में गलती कर दिये। जबकि वादीगण ने प्रतिवादीसंख्या 1 के पित व प्रतिवादी संख्या 192 के पिता पांचू पुत्र घासी को 15 बीघा भूमि का ही बेचान किया था। परन्तु अलग अलग खाते बनाते समय हिस्सो में गडबडी कर दिये जससे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में करीब 0.5 है0 भूमि अधिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रखी है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने संयुक्त गै0मु0चाह खसरा नम्बर 19 में खुदवाया था। तथा मोके पर आज भी गै0मु0 चाह आराजी खसरा नम्बर 19 में ही खुदा हुआ है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते समय उक्त गे0मु0 चाह को खसरा नम्बर 23 तो आबादी भूमि है जबकि उक्त चाह खसरा नम्बर 19 में खुदा हुआ हे। जिससे वादीगण मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के हक व हिस्सा में से 0.25 है0 की खातेदारी घोषणा करवाने के तथा हिस्सा दुरूस्ती करवाने के तथा गै0मु0 चाह

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खसरा नम्बर 23 में दर्शाया गया है। उसको खसरा नम्बर 19 में अंकित करते हुये दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादी का मद नम्बर 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है वो स्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है वो पूर्णतया स्वीकार है। वादपत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है। वो पूर्णतया स्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 7 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 8 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 9 स्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 10 के (क), (ख), (ग), (घ) में चाही गयी रिलिफ वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जावे, तो हमे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 03.04.2019 तक जवाब दावा भी पेश नही किया गया न ही वकील प्रतिवादी हाजीर हुआ। प्रतिवादीगण की तरफ से काई भी हाजरी नही होने पर एक तरफा कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी। वकील वादी ने साक्ष्य नही करवाकर सीधे ही बहस करना चाहे जाने पर बहस वकील वादी की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कनि किया कि प्रतिवादी संख्या 6, 7 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर वादी का दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही की गयी। दावा वादी डिक्री फरमाया जावे। वादी वकील ने दावे के समर्थन में ग्राम टूटोली की जमाबन्दी संवत 2068–71 नामान्तकरण संख्या 90 जमाबंदी आधार वर्ष 2053 विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
धाकरू (जयपुर)

पत्र दिनांक 16.12.1996 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व दावा जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 1 रकबा 100 बीघा बंजड बारानी लगायी थी जिसके खाते वादीगण जिसका राजस्व रिकार्ड में 3/4 हक व हिस्सा था तथा 1/4 हिस्सा अन्य का बदस्तुत था। इसी नम्बर में दो पुख्ता चाह बने हुये थे, वादीगण का उक्त चाह में 3/4 हक व हिस्सा था जिसमें से वादीगण अपने हक व हिस्सो मे से प्रतिवादीगण सख्या 1 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता पांचू पुत्र घासी को वादीगण ने अपना हिस्सा 3/4 में से 1/5 हक व हिस्सा 15 बीघा भूमि तथा चाह में अपना हिस्सा 3/4 में से 1/5 हक व हिस्सा का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1996 किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 90 सन 1998 को प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता पांचू पुत्र घासी जाट के नाम नामान्तकरण खुला जो विक्रय पत्र अनुसार सही खोला है किन्तु बाद में राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज करने से वादीगण की 0.25 एयर जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के पति व 2 व 3 के पिता के नाम अधिक दर्ज कर दी गयी जो प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर अधिक भूमि वादीगण के नाम लगाने में सहमति जाहिर किये जाने से दावा वादी उपरोक्त विवेचन अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1, 2 किता 2 रकबा 6.33 है0 व

उपखण्ड अधिकारी
कसू (जयपुर)

खसरा नम्बर 3, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 12/1, 13 से 20, 25 से 37 किता 27 रकबा 14.33 है0 व खसरा नम्बर 11, 13/2836, 20/2829, 21/1, 22, 23 किता 6 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक व हिस्सा में वादीगण को 0.25 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नम्बर 23 गै0 मु0 चाह के स्थान पर आराजी खसरा न के स्थान पर आराजी खसरा नम्बर 19 को नक्शा ट्रेस में गै0मु0 चाह दुरूस्त रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.06 13:32:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: